

राशमी
(उपखण्ड अधिकारी)
सहायक कलेक्टर
(राशमी)

राशमी व जिला विभागाध्यक्ष

- प्रतिपि :-
1. तहसीलदार, राशमी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
 2. प्रार्थी श्री खाला दुर्गेश को सूचनाएं।

क्रमांक: सटिशता/5-11(210)2023 दिनांक :-

राशमी
(उपखण्ड अधिकारी)
सहायक कलेक्टर
(राशमी)



क.सं.	मौजा	खाला संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	वर्दीचंद	वृद्धिचंद
1.	राशमी	207,395,492	272,270,273,271		
	क.सं.	मौजा	खाला संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	रिकार्ड में दर्ज की जानी है

प्रार्थी के "खाला दुर्गेश" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी, पटवार हटका राशमी, मैं अभिलेख निरीक्षक वृत्त राशमी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार राशमी की राजस्व अनुशंखा के आधार पर राजस्थान सू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में मौजा राशमी तहसील राशमी व जिला विशालपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2077 में खाला संख्या 207,395,492, 272,270,273,271 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिये जाते हैं :-

प्रसंग :- आदेश :-
प्रसंग :- 210 / 2023
अभियान-2023

(प्राधिकृत अधिकारी कैम्प कार्ट) कैम्प :- राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पटवारी

राजस्थान सरकार
व्यापार उपाययुक्त अधिकारी एवं पटल सहायक कलेक्टर राशमी

